

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

तहसील-बस्सी, जिला-चित्तौड़गढ़

ग्राम सेवा शिविर 2025 अभियान

ग्राम पंचायत अमरपुरा... दिनांक 3.10.25

कार्यालय तहसीलदार(भू.अ.) बस्सी जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-भू.अ./2025/13

प्रेषिति,

दिनांक:-3/10/2025


श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय,

चित्तौड़गढ़

महोदय,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भालुराज पिता/पति श्री बगल निवासी पालवा पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम अमरपुरा में जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या 92 में भालुराज पिता/पति श्री बगल जाति/नाम दर्ज है। रिपोर्ट पटवारी व भू.अ.नि. ने सम्मानजनक जाति/नाम भालुराज पिता/पति श्री बगल दर्ज किये जाने की रिपोर्ट की है। सम्मानजनक जाति/नाम भालुराज पिता/पति श्री बगल का अंकन राजस्व रिकार्ड में किया जाना उचित है। दोनों जातियां/दोनों नाम एक ही व्यक्ति के है।

जाति संशोधन की स्थिति में राज. काश्तकार अधिनियम 1955 की धारा 42 (बी) का उल्लंघन भी नहीं होता है अतः जाति/नाम में संशोधन किया जाना उचित है।

  
तहसीलदार (भू.अ.)  
बस्सी  
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़(राज.)

क्रमांक:-रीडर/2025/174

निमित्त,

दिनांक:-6/10/2025

पटवार हल्का अमरपुरा

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम दर्ज करने बाबत।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी/प्रार्थीयान के अनुसार श्री भालुराज पिता/पति श्री बगल राजस्व अमरपुरा पटवार हल्का अमरपुरा की खाता संख्या 92 में जाति/नाम भालुराज पिता/पति बगल दर्ज है। जिसे सम्मानजनक करने हेतु रिपोर्ट जांच व पहचान पटवार हल्का व भू.अ.नि. द्वारा की गई है। तहसीलदार बस्सी द्वारा भी जाति/नाम सम्मानजनक किये जाने की अनुशंसा प्राप्त हुई है।

अतः प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री भालुराज पिता/पति श्री बगल की जाति/नाम भालुराज पिता/पति श्री बगल एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136 के तहत संशोधन दर्ज करने की स्वीकृति एतद् द्वारा दी जाती है। पटवार हल्का अमरपुरा राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल की पालना पेश करे।

प्रतिलिपि:- तहसीलदार बस्सी पालना सुनिश्चित करे।

उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़  
उपखण्ड अधिकारी  
चित्तौड़गढ़

सेवामें,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय

चित्तौड़गढ़(राज.)

विषय:- सम्मानजनक जाति/नाम संशोधन के संबंध में।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत एल.आर. एक्ट 1956 की धारा 136

अनवान श्री लालुराम पिता/पति श्री बगल रेगल

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बरसी

महोदयजी,

उपरोक्त विषय एवं अनवान में निवेदन है कि मैं/हम प्रार्थी श्री लालुराम पिता/पति श्री बगल रेगल निवास पालछा का/की हुं/है।

मेरे हमारे पटवार हल्का अमरपुरा के राजस्व ग्राम भोरबनछा में खाता संख्या 92 किता । रकबा 0.67 है. भूमि दर्ज रेकार्ड है जिसमें मेरी/हमारी जाति/नाम लालुराम पिता/पति श्री बगल रेगल दर्ज है जिसको मैं/हम सम्मानजनक रूप में लालुराम पिता/पति श्री बगल रेगल दर्ज करवाना चाहती हू/चाहता हूं।

अतः मेरी/हमारी जाति/नाम बगल पिता/पति श्री बजाय रेगल पिता/पति श्री दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 2/10/2025

हस्ताक्षर

प्रार्थी व अन्य

नि लालुराम

रिपोर्ट पटवारी हल्का अमरपुरा

महोदयजी,

निवेदन है कि प्रार्थी/प्रार्थीयान श्री लालुराम पिता/पति श्री बगल रेगल निवासी पालछा के राजस्व ग्राम भोरबनछा पटवार हल्का अमरपुरा की जमाबन्दी संवत् 2078-81 की खाता संख्या में प्रार्थी/प्रार्थीयान सम्मानजनक जाति/नाम के रूप में लालुराम पिता/पति श्री बगल रेगल दर्ज करवाना चाहता हूँ/चाहते हैं। दोनो जातियाँ एक ही श्रेणी की है/दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हैं। हम इनकी पहचान एवं हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। अतः संशोधन किया जाना उचित है।

हस्ताक्षर पटवारी

पटवार मण्डल भोरबनछा  
तह. बरसी, जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

हस्ताक्षर भू.अ.नि.विजयपुर

03.10.25